

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-103/02

संस्थित दिनांक- 08.04.2002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
एम0एस0 मेहते खाद्य निरीक्षक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन गुना म0प्र0

.....परिवादी

विरुद्ध

अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 दर्जुन लाल जैन उम्र 62 साल,
निवासी जैन होटल चंदेरी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 02.11.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 की धारा 16 (I) क (I) के आरोप है कि उसने दिनांक-15.12.2001 प्रातः 11:30 बजे जैन होटल चंदेरी में बिना लाईसेंस के मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हुये पाया गया।
- 02—परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि खाद्य निरीक्षक एम एस मेहते ने दिनांक-15.12.2001 को समय 11:30 बजे अभियुक्त अरविंद द्वारा चंदेरी में संचालित जैन होटल का निरीक्षण किया तथा मांगने पर उसके पास 2001-2002 का खाद्य सामग्री बेचने का लायसेंस नहीं था, विक्रय हेतु संग्रहित सेव में रंग आदि की मिलावट की शंका होने पर अभियुक्त को नोटिस देकर जांच हेतु नमूना के लिये 1500 ग्राम सेव उसने 75 रुपये में क्रय किये और मौके पर उक्त नमूना जांच हेतु लेबल लगाकर साक्षी रमेश कुमार की उपस्थिति में तीन थैलियों में शील बंद कर उक्त तीनों थैलियों पर पेपर स्लिप क्रमांक डी0आर0/एम0एस0एम0/104518/6 चिपकाकर शील्ड किया। घटना स्थल पर ही पंचनामा बनाया था, पंचनामा की नकल न देने पर आरोपी ने पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये।
- 03—परिवादी ने जांच हेतु नमूना का एक भाग फार्म नंबर-7 के साथ एक शील्ड पैकेट में रजि0 पार्सल द्वारा प्रान्तीय खाद्य प्रयोग शाला भेजा था ओर अलग से फार्म नंबर-7 एवं शील्ड स्पेशीमैन एक शील्ड लिफाफा में रजि0 पो0 द्वारा भेजा था, नमूना के शेष दो भाग फार्म नंबर-7 के साथ एक शील्ड पैकेट में दिनांक-19.12.

2001 को एल0 एच0 ए0 कार्यालय में जमा किये थे। नमूना का जांच प्रतिवेदन स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी उप संलाचक (खाद्य एवं आ0 प्रशासन) गुना द्वारा उनके पत्र क्रमांक-63 दिनांक-06.02.2002 के साथ संलग्न प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार जांच हेतु भेजा गया, सेव का नमूना मिलावटी पाया गया है। अभियोगी ने एल0 एच0 ए0 उप-संचालक (खाद्य एवं आ0 प्रशासन) गुना के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अरविंद के विरुद्ध बिना लाईसेंस खाद्य सामग्री बेचने एवं मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के अपराध का आरोप पत्र तैयार किया और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जांच हेतु प्रस्तुत किया तद् उपरांत एल0 एच0 ए0 गुना ने प्रकरण की जांच करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04-अभियुक्त को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.12.2001 प्रातः 11:30 बजे अपने जैन होटल चंदेरी में बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य सामग्री विक्रय की ?
2.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा जैन होटल चंदेरी में विक्रय की गई खाद्य सामग्री अपमिश्रित थीं ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06- सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। परिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में सेनेटी निरीक्षक एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) स्वतंत्र साक्षी के रूप में रमेश कुमार (प0सा0-1) के कथनों सहित तत्कालीन

उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन गुना डॉक्टर के के विजयवर्गीय पसा 3 के कथन भी न्यायालय में कराये गये।

- 07- सेनेटी निरीक्षक एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह 2001 में गुना जिले में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। इस साक्षी का कहना है कि दिनांक-15.12.2001 को उसने बस स्टेण्ड चंदेरी स्थित होटल का निरीक्षण किया था, जिसमें होटल में अभियुक्त मीठा नमकीन आदि विक्रय हेतु संग्रहित किये था, इस साक्षी के अनुसार संग्रहित किये हुये सेव जो कि बेसन, नमक, मिर्च अजवाइन व सोयाबीन से निर्मित थे, उनमें रंग मिले होने की शंका होने पर उसने जांच के लिये मौके पर नमूना देने के लिये उसने अभियुक्त को नोटिस दिया था तथा 1500/- ग्राम सेव उसने अभियुक्त से क़य कर अभियुक्त के द्वारा मांगने पर कीमत 75/- रुपये प्रदान कर दी गई राशि की रसीद अभियुक्त से प्राप्त की थी।
- 08- परिवादी पक्ष की ओर से प्रकरण में प्रदर्श-पी-4 का एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा अभियुक्त को दिये गये नोटिस की मूल प्रति सहित भुगतान की गई राशि की रसीद प्रदर्श-पी-2 प्रकरण में प्रस्तुत की है, जिस पर एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा प्रदर्श-पी-4 व 2 पर बी से बी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने के संबंध में भी कथन दिये है। इस साक्षी का यह कहना है कि उसने लिये गये सेव को पालीथिन की तीन अलग-अलग थैली में लेबल डालकर उन थैलियों में पेपर लपेटकर थैलियों को चपड़ी शील से शीलबंद किया था तथा तीनों थैलियों पर उसने पेपर लपेटकर उन पर पेपर स्लिप **DR/MSM/105418** से की स्लिप थैलियों पर चिपकाई थी तथा थैलियों पर एवं लेबल पर उसने व अभियुक्त ने हस्ताक्षर किये थे। प्रकरण में उक्त लेबल प्रदर्श-पी-3 प्रस्तुत किया गया, जिस पर इस साक्षी ने अपने व अभियुक्त के हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 09- एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के अनुसार घटना स्थल पर प्रदर्श-पी-1 का पंचनामा बनाया था तथा पंचनामों की कापी न दिये जाने पर अभियुक्त ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि घटना दिनांक को उसके द्वारा तैयार किये गये पंचनामा प्रदर्श-पी-1 से होती है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के कथन अनुसार उसने मौके पर प्रदर्श-पी-4 के नोटिस प्रदर्श-पी-2 की रसीद प्रदर्श-पी-3 के

लेबल व प्रदर्श-पी-1 के पंचनामों पर गवाह के लिये हस्ताक्षर कराये थे। जिसके संबंध में साक्षी का कहना है कि उपरोक्त दस्तावेजों के सी से सी भाग पर गवाह के हस्ताक्षर हैं। हालांकि इस साक्षी ने अपने कथनों में गवाह का नाम का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु परिवादी पक्ष की ओर से स्वतंत्र साक्षी रमेश कुमार (प0सा0-1) के कथन जब न्यायालय में कराये गये, तो इस साक्षी ने पंचनामा रसीद लेबल व फार्म पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 10- रमेश कुमार (प0सा0-1) ने अपने कथनों में परिवाद पक्ष का समर्थन न करते हुये घटना की जानकारी होने से इंकार किया है तथा इस साक्षी के द्वारा परिवादी का समर्थन न करने के कारण उसे पक्ष विरोधी कर उसका परिवादी के द्वारा परीक्षण किये जाने पर कहना है कि खाद्य निरीक्षक ने उसके सामने अभियुक्त से कोई पूछताछ नहीं की और न ही सेव के सैंपल जप्त किये। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के समर्थन में यह कथन दिये हैं कि अभियुक्त अरविंद कुमार की दुकान पशु चिकित्सालय के पास कपड़े की है तथा अभियुक्त अरविंद कुमार काफी समय पहले चाय बनाने का काम करते थे। इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह अरविंद कुमार की दुकान पर नहीं गया बल्कि फुड इंस्पेक्टर ने उसकी दुकान पर आकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे।
- 11- रमेश कुमार (प0सा0-1) के द्वारा भले ही स्वतंत्र साक्षी के रूप में परिवादी एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा की गई कार्यवाही एवं उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों का समर्थन नहीं किया गया है तथा इस साक्षी ने घटना की जानकारी होने से भी इंकार किया है, परन्तु इस साक्षी के कथनों के संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी साक्षी के पक्षविरोधी हो जाने मात्र से उसकी संपूर्ण साक्ष्य अग्राह्य नहीं हो जाती है। जिन बिंदुओं पर साक्षी परिवादी पक्ष का समर्थन कर रहा हो, उन बिंदुओं पर साक्षी की साक्ष्य को विचार में लिया जा सकता है। रमेश कुमार (प0सा0-1) ने प्रदर्श-पी-4, 2, 3 व 1 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है जिससे एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये इन कथनों की पुष्टि होती है कि एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के मौके पर कहने पर इस साक्षी ने प्रदर्श-पी-4, 2, 3 व 1 पर हस्ताक्षर कार्यवाही के दौरान कराये थे। उन दस्तावेजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, इस संबंध में एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के कथनों एवं प्रदर्श-पी-4, 2, 3 व 1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों को स्वयं बचावपक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही उन

दस्तावेजों पर अभियुक्त के द्वारा किये गये हस्ताक्षरों के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश की गई।

- 12- एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) जो कि उस समय खाद्य निरीक्षक था, ने लोक सेवक के नाते अपने लोक कर्तव्यों के निर्वाहन में संपूर्ण कार्यवाही की है तथा इस साक्षी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन उसके द्वारा मौके पर तैयार किये गये पंचनामों प्रदर्श-पी-1 से पुष्टि होने के बाद एवं दस्तावेजों पर अभियुक्त व साक्षी रमेश कुमार (प0सा0-1) के पंचनामा व इस साक्षी के कथन अनुसार मौके पर हस्ताक्षर किया जाना प्रमाणित होने से इस साक्षी के द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही प्रमाणित होती है, जिस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। मात्र स्वतंत्र साक्षी के द्वारा एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) की कार्यवाही का समर्थन न करने से एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) की कार्यवाही को शंकाप्रद नहीं माना जा सकता है।
- 13- बचाव पक्ष की ओर से न्यायदृष्टांत 1992 M.P.W.N 166, 1995 M.P.W.N 124 में प्रतिपादित विधि का आवलंबन लिया गया है, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित की विधि के अलोक में उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का आरोपी को प्राप्त नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट अभिमत है, कि यदि खाद्य निरीक्षक की मौके पर की कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय है, तो उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है, इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **Prem Ballab And Anr. vs The State (Delhi Admn.) AIR 1977 SC 56,** में प्रतिपादित न्यायमत में पर आधारित है।
- 14- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक-15.12.2001 को परिवार एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा अभियुक्त के होटल से सेव में रंग के मिश्रण की शंका होने पर उसके द्वारा अभियुक्त से विधिवत् जांच हेतु 75/- रुपये प्रदान कर 1,500/- ग्राम सेव जांच के लिये प्राप्त किये थे और मेहते पर उसके द्वारा विधिवत् उपरोक्त लिये गये सेव में से प्रदर्श-पी-3 के लेबल के अनुसार तीन अलग-अलग थैलियों में नमूना जांच के लिये सेव शील बंद कर पैक किये थे। अभियुक्त की रमेश कुमार (प0सा0-1) के परीक्षण में यह प्रतिरक्षा अवश्य है कि उसकी कपड़े की दुकान है तथा उसने एस0 एस0 मेहते (प0सा0-2) का सेव

विक्रय नहीं किये, परन्तु इसके खण्डन में कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं है। जांच के लिये एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा 75/- रुपये में 1,500/- ग्राम सेव अभियुक्त से क्रय किया जाना उसके द्वारा प्रदर्श-पी-2 के रसीद दिये जाने से प्रमाणित है और नमूने के लिये किया गया विक्रय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 2 (13) के तहत विक्रय की श्रेणी में आता है। जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत

Mohammed Yamin vs State Of Uttar Pradesh & Another, 1973 SCR (1) 350 अवलोकनीय है।

15- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर इस आशय की विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है कि दिनांक-15.12.2001 को खाद्य निरीक्षक एम0 एस0 मेहते ने साक्षी रमेश कुमार (प0सा0-1) के समक्ष सेव की जांच के लिये उससे 1,500/- ग्राम सेव मौके पर विधिवत् 75/- रुपये में क्रय कर तीन अलग-अलग थैलियों में जांच हेतु शील बंद किये थे। एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) का कहना है कि उसने जांच के लिये जन विशेषज्ञ मध्यप्रदेश भोपाल को फार्म-7 के साथ उक्त शील किये गये एक पैकेट रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा था और अलग से फार्म-7 शील्ड लिफाफे में रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा था। जिसके संबंध में फार्म-7 की कार्यालीन प्रति प्रदर्श-पी-11 सहित जन विशेषज्ञ भोपाल को उपरोक्त नमूना व फार्म रजिस्टर्ड डाक से भेजने की डाक रसीद प्रदर्श-पी-12 व 13 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

16- एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) ने जन विशेषज्ञ को उपरोक्त नमूना व फार्म भेजा था, उसका उल्लेख फार्म-7 की कार्यालीन प्रति प्रदर्श-पी-11 के पृष्ठ भाग पर है तथा रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श-पी-12 व 13 जो दिनांक-18.12.2001 की है। अभिलेख पर है, जिससे एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की पुष्टि होती है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि प्रदर्श-पी-12 व 13 पर उल्लेखित सीरियल नंबर में अंतर होने के आधार पर एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा सैंपल भेजने की कार्यवाही को चुनौती दी है। निश्चित रूप से रसीदों के क्रमांक अलग-अलग हैं, परन्तु उक्त रसीदें एक ही दिनांक की हैं। यह कहीं से भी तात्त्विक नहीं है कि एक ही दिनांक को भेजी गई दो डाक में एक के बाद एक सीरियल नंबर आयेंगे और मात्र यह आधार की सीरियल नंबर अलग-अलग हैं, एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा भेजे गये नमूने एवं फार्म-7 की कार्यवाही को संदेहास्पद को साबित करने के लिये या उक्त कार्यवाही नहीं की गई, यह साबित करने के

लिये पर्याप्त नहीं है।

- 17- प्रकरण में भेजे गये नमूने जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट प्रदर्श-पी-14 कार्यालय उप संचालक खाद्य विभाग को प्राप्त हुई थी तथा रिपोर्ट के अनुसार नमूना अपमिश्रित पाये जाने पर प्रकरण में तैयार करने के लिये तत्कालीन उप संचालक के० के० विजयवर्गीय (प०सा०-3) के द्वारा एम० एस० मेहते (प०सा०-2) को प्रपी 15 के पत्र के माध्यम से निर्देशित कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया था। इसकी पुष्टि स्वयं डॉक्टर के० के० विजयवर्गीय (प०सा०-3) ने अपने कथनों में की है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श-पी-15 के पत्र से होती है। जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। दिनांक-13.03.2003 को अभियुक्त के विरुद्ध नमूना जांच अपमिश्रित पाये जाने पर प्रदर्श-पी-18 का अभियोजन चलाने जाने की स्वीकृति का आदेश भी इस साक्षी ने जारी किया जाना स्वीकार किया है जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अतः के० के० विजयवर्गीय (प०सा०-3) के द्वारा की गई कार्यवाही पर भी संदेह का कोई कारण नहीं है।
- 18- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित तर्क में यह आपत्ति उठाई है कि डॉक्टर के० के० विजयवर्गीय (प०सा०-3) व एम० एस० मेहते (प०सा०-2) इस बात का उल्लेख नहीं किया है, कि लोक विशलेषक को रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी एवं लोक विशलेषक को सैम्पल कब मिला तथा बचाव पक्ष का भी तर्क है कि दिनांक-06.02.2002 को अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के बाद प्रकरण विलंब से प्रस्तुत हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श-पी-12 व 13 की रसीद से यह प्रमाणित है कि दिनांक 18.12.2001 को नमूना व सैम्पल जांच के लिये भेजा गया था, जिसके संबंध में लोक विशलेषक की रिपोर्ट प्रदर्श-पी-14 दिनांक-21.01.2002 को तैयार की गई थी, जो कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि के कार्यालय में दिनांक-24.01.2002 को प्राप्त हुई थीं, जिसका उल्लेख प्रदर्श-पी-15 में है। प्रदर्श-पी-15 का आदेश अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं है, बल्कि प्रकरण तैयार करने का निर्देश है अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक-13.03.2002 को दिया गया, जो कि प्रदर्श-पी-18 है। जिसके बाद दिनांक-08.04.2002 को यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अतः बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्कों में जिस प्रकार के विलंब का उल्लेख किया गया है वह अभिलेख पर आई दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।
- 19- अभियुक्त की और से प्रस्तुत लिखित तर्क में लोक विशलेषक की रिपोर्ट

प्रदर्श-पी-14 को भी किये गये टेस्ट के आधार पर चुनौती दी गई है, जिसमें अधिवक्त का तर्क है कि विशलेषक रिपोर्ट में रंग होना नहीं पाया गया। विशलेषक रिपोर्ट प्रदर्श-पी-14 लोक विशलेषक के द्वारा किये गये टेस्ट के आधार पर है, जिसमें स्पष्ट रूप से जांच के लिये भेजे गये सेव अपमिश्रित होना पायें गये। अतः अभियुक्त अधिवक्ता का यह तर्क की सेव में मिश्रण नहीं था, उक्त रिपोर्ट प्रदर्श-पी-14 में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

20- यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष की मुख्य प्रतिरक्षा यहीं है कि अभियुक्त को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-13 (2) के तहत सूचना नहीं दी गई। जिसके संबंध में स्वयं एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है उसने अभियुक्त को धारा-13 (2) को नोटिस नहीं दिया। धारा-13 (2) के तहत अभियुक्त को नोटिस दिया जाना एवं लोक विशलेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट अभियुक्त को प्रेषित किया जाना एक आज्ञापक प्रावधान है। जिसका पालन इस प्रकरण में नहीं हुआ। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अभियुक्त खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-13 (2) के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुये प्रश्नगण नमूने की द्वितीय भाग की जांच केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से करा सकते थे, ऐसे में उसके अधिकार का हनन हुआ है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत 1995 J.L.J. 606, 1992 M.P.W.N. 27 1995, M.P.W. 92, 1999 C.R.L.J. 2843, 1999 W.N. 17, 2003 W.N. 103 का आवलंबन लिया है।

21-उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अध्ययन के उपरांत यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत State Of Orissa vs Gouranga Sahu 2003 CriLJ 3077, में प्रतिपादित न्यायमत का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-13 (2) में अभियुक्त को प्रेषित की जाने वाली जांच रिपोर्ट की कार्यवाही को आज्ञापक मानने के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त रिपोर्ट अभियुक्त को प्रेषित करने एवं उक्त रिपोर्ट अभियुक्त को प्राप्त हुई यह साबित करने का भार अभियोजन पर है। वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शित करती हो कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत खाद्य निरीक्षक एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा जांच रिपोर्ट अभियुक्त को सूचना पत्र के साथ प्रेषित कि गई वहीं स्वयं

एम0 एस0 मेहते (प0सा0-2) के द्वारा यह स्वीकार कर लेने से की जांच रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई, अपने आप में यह साबित करता है कि अभियुक्त को इस प्रकरण में प्रतिरक्षा में उत्पन्न होने वाले अधिकार का हनन हुआ है। जिसके लिये निश्चित रूप से उक्त अपराध में अभियुक्त दोष मुक्ति का पात्र है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत राज्य बनाम मदन 1984 M.P.L.J.- N.O.C. 27 अवलोकनीय है।

22- अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि प्रकरण संमस प्रक्रिया द्वारा विचारणीय था, परन्तु प्रकरण का विचारण वारंट प्रक्रिया द्वारा किया गया, जिसमें प्रक्रियात्मक त्रुटि होने से अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध साबित नहीं होता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार किये जाने से पूर्व यहां खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-16 (ए) का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, धारा 16 (ए) के अनुसार—
Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences under sub-section. (1) of section 16 shall be tried in a summary way by a Judicial Magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the State Government or by a Metropolitan Magistrate and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall, as far as may be, apply to such trial: Provided that in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year: Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section it appears to the magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Magistrate shall after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.

23- अतः उपरोक्त प्रावधान के परन्तुक में ही इस बात का उल्लेख है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकरण का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया से किया जावे उसके लिये वारंट प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है और यदि ऐसी कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि विचारण के दौरान हो भी गई है, तो उसका कोई लाभ अभियुक्त तब तक पाने का अधिकार नहीं है, तब तक वह यह साबित न कर दे उसके अधिकारों का हनन हुआ है। वर्तमान अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर दिया गया,

है। यदि अभियुक्त का विचारण परिवाद पर संस्थित वारंट प्रक्रिया के द्वारा किया गया, तो अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में धारा 243 (2) द0प्र0स0 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर परिवादी साक्षियों के पूर्व में हुये परीक्षण पर प्रतिपरीक्षण की मांग कर सकता था तथा अपनी ओर से भी साक्ष्य पेश करने के लिये स्वतंत्र था, परन्तु अभियुक्त की ओर से धारा 313 द0प्र0स0 के तहत किये गये परीक्षण में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया, तथा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। ऐसे में उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत राधेश्याम अग्रवाल बनाम राज्य N.C.T. दिल्ली (2009) NC.C. 2012 में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है।

24- अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने दिनांक-15.12.2001 को अपनी दुकान स्थित जेन होटल से खाद्य निरीक्षक एम एस मेहते (प0सा0-2) को बिना किसी लाईसेंस के खाद्य सामग्री सेव का विक्रय किया, जो कि अपमिश्रित होना पाई गई। चूंकि परिवादी पक्ष की ओर से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-13 (2) का पालन न करते हुये अभियुक्त को लोक विशलेषक रिपोर्ट सूचना पत्र के साथ प्रेषित नहीं की गई इसलिए उसे अपमिश्रित सेव विक्रय करने के संबंध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है परन्तु चूंकि सेव से बिना लाईसेंस धारित किये विक्रय करना भी एक पृथक अपराध है जिसके लिये अभियुक्त पूरी तरह से दोषी है। खाद्य पदार्थ विक्रय करने का लाईसेंस अभियुक्त के पास है या नहीं। इसकी जानकारी केवल अभियुक्त को ही हो सकती है, परन्तु अभियुक्त के द्वारा मांग किये जाने पर भी कोई लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अपनी प्रतिरक्षा में प्रकरण के विचारण के दौरान खाद्य सामग्री विक्रय करने का लाईसेंस प्रस्तुत किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त के द्वारा बिना किसी लाईसेंस के खाद्य सामग्री विक्रय की। जो कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत बनाये गये नियम-50 का भी उल्लंघन है।

25- फलतः अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 दर्जुन लाल जैन के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 की धारा 7 (1) सहपठित धारा 16 (1) क (1) के आरोप प्रमाणित न होने से उसे उक्त धारा में अपमिश्रित खाद्य सामग्री विक्रय करने के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 दर्जुन लाल जैन के विरुद्ध बिना लाईसेंस के खाद्य सामग्री विक्रय करने के आरोप प्रमाणित हुये है, जो कि खाद्य अपमिश्रण

निवारण अधिनियम-1954 (7) सहपठित 16 (1) क (1) एवं उक्त अधिनियम के नियम 50 का उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 (7) सहपठित 16 (1) क (1) एवं उक्त अधिनियम के नियम 50 के उल्लंघन के आरोप के तहत दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

- 26- अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 27- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुये हैं। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। प्रकरण वर्ष 2002 से लंबित था, जिसकी अवधि लगभग 15 हो चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोष सिद्धि अभिलेख पर नहीं हैं। अतः ऐसे में उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

- 28- अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व० दर्जुन लाल जैन को उपहति के संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 (7) सहपठित 16 (1) क (1) एवं उक्त अधिनियम के नियम-50 के उल्लंघन के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व० दर्जुन लाल जैन को 6 माह (छः माह) के साधारण कारावास एवं 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस (पन्द्रह दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

29-अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

